

रजिस्टर्ड नोटिस

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एम.ई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 5/7/2021

डॉ. तपेन्द्र नाथ तिवारी,  
पुत्र श्री जग मोहन तिवारी,  
केएच-184, केशवपुरा,  
सैक्टर-6, कोटा (राज.)-324009

विषय:- सहायक आचार्य के पद पर नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण किये जाने बाबत नोटिस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 द्वारा आपको सहायक आचार्य, रेडियोडाइग्नोसि... के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु आदिनांक तक आप द्वारा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः जरिए रजिस्टर्ड नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.07.2021 तक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करें। उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाकर प्रतीक्षा सूची में से नियमानुसार अन्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

भवदीय,

5/7/2021  
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थियों के दिनांक 12.07.2021 तक अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

॥  
(अशोक कुमार सोनी)  
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एम.ई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 5/7/2021

डॉ. श्याम सुन्दर नौवाल,  
पुत्र श्री महाराज शर्मा, 64,  
मंगल नगर, कनकपुरा, सिरसी रोड़,  
वी-मार्ट के पीछे, जयपुर (राज.)-302034

विषय:- सहायक आचार्य के पद पर नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण किये जाने बाबत नोटिस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 द्वारा आपको सहायक आचार्य, नेफोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु आदिनांक तक आप द्वारा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः जरिए रजिस्टर्ड नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.07.2021 तक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करें। उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाकर प्रतीक्षा सूची में से नियमानुसार अन्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थियों के दिनांक 12.07.2021 तक अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

11  
(अशोक कुमार सोनी)  
उप शासन सचिव